

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NS/103

DATE: 23 JANUARY 2025

सेवा में,
आदरणीय श्री अमित शाह,
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार,
पता: नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

द्वारा:
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)
पता: एफ-49, शुभम अपार्टमेंट, प्लॉट 4, द्वारका सेक्टर 12,
केंद्रीय विद्यालय के सामने, नई दिल्ली - 110078

विषय: यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स सुश्री निमिषा प्रिया के जीवन की रक्षा हेतु हस्तक्षेप का निवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो न केवल एक भारतीय नागरिक के जीवन की रक्षा से जुड़ा है, बल्कि भारत और यमन के द्विपक्षीय संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

केरल की नर्स, सुश्री निमिषा प्रिया, जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने और अपने देश का नाम रोशन करने के उद्देश्य से यमन गई थीं, वर्तमान में एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना कर रही हैं। वर्ष 2017 में उन्हें एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। हाल ही में विभिन्न समाचार माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इस सजा को यमन के राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है।

निमिषा प्रिया का दावा है कि यह कार्य आत्मरक्षा में किया गया था। उनके अनुसार, वह लंबे समय से संबंधित व्यक्ति द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी की, उनके नकली दस्तावेजों का उपयोग किया और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। इन परिस्थितियों में, उनकी स्थिति अत्यधिक जटिल और विवश हो गई है।

भारत-यमन संबंधों पर संभावित प्रभाव:

- द्विपक्षीय राजनयिक संबंध:** भारत और यमन के बीच लंबे समय से व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मधुर संबंध रहे हैं। इस मामले में मानवीय हस्तक्षेप भारत की नैतिक और कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं को उजागर करेगा।
- भारत की छवि का सुदृढ़ीकरण:** अपने नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगी।



ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

आवश्यक कदम और सुझाव:

- राजनयिक वार्ता का आयोजन:** यमन के उच्चाधिकारियों और न्यायिक प्रणाली के साथ उच्च स्तरीय बातचीत सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षमादान (Pardon) प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
- रक्तमनी (Blood Money) का प्रावधान:** यमन के कानून के अनुसार, मृतक के परिजनों को दीया (रक्तमनी) प्रदान कर सजा को माफ किया जा सकता है। भारत सरकार आर्थिक सहायता या अन्य माध्यमों से इस धनराशि की व्यवस्था कर सकती है।
- मानवाधिकार संगठनों का सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर इस मामले को न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- न्यायिक पुनर्विचार की अपील:** यमन की न्याय प्रणाली में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, ताकि सुश्री निमिषा प्रिया को उचित न्याय मिल सके।

मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण:

भारत ने हमेशा मानवाधिकारों और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इस मामले में सक्रिय हस्तक्षेप केवल निमिषा प्रिया के जीवन की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह भारत की वैश्विक छवि को और भी सुदृढ़ करेगा।

अतः यह मामला केवल एक भारतीय नागरिक के जीवन का नहीं है, बल्कि यह हमारे मानवीय मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों की परीक्षा भी है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि त्वरित और प्रभावी कदम उठाते हुए सुश्री निमिषा प्रिया के जीवन की रक्षा सुनिश्चित करें।

सादर धन्यवाद।

भवदीया,
रश्मि बाला
राष्ट्रीय सचिव
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)

प्रतिलिप -

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार

सादर,
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)